



B.J. DUPLEX BOARDS LIMITED

Regd. Office : H. No. 83, 3rd Floor, Chawri Bazar, Delhi-110006

Ph. : 011-42141100, 011-30251171, sbj@anandpulp.com

CIN: L21090DL1995PLC066281

26th October, 2021

**TO,
THE SECRETARY
CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT
BSE LIMITED
1ST FLOOR, PHIROZEJEEJEEBHOY TOWER,
DALAL STREET, MUMBAI- 400001**

**Ref.: 531647 —B J DUPLEX BOARDS LIMITED
ISIN: INE265C01017**

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuance to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Unaudited Standalone Financial Results of the company for the Second Quarter and Half Year ended 30th September, 2021 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Haribhoomi (Hindi Newspaper) on 26th October, 2021.

This is for your information and records.
Kindly take the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Divya Mittal



**DIVYA MITTAL
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**

Encl: As above

VOITH PAPER FABRICS INDIA LTD. Registered Office: 113/114-A, Sector-24, Faridabad - 121005, Haryana...

KARVY FINANCE POSSESSION NOTICE (for Immovable Property) Corporate Office: Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center, 2nd floor, Near Domestic Airport...

BANK OF BARODA Branch Office : Narain Complex, Rohtak POSSESSION NOTICE (for Immovable property/ies) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002).

Grovy India Limited Regd. Office: 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar II, New Delhi - 110024, Ph: 011-46740000...

ORIX Leasing & Financial Services India Limited (formerly known as OAS Auto Financial Services Limited) (A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited) Regd. Office : Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059

Table with columns: Name of Borrower/ Guarantor, Description of property mortgaged, Date of demand notice, Date of possession, Amount O/s

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED Regd & Corporate office: G - 82, Kirti Nagar, Delhi-110015 Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/

ORIX Leasing & Financial Services India Limited (Notice under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

Canara Bank (A Govt. of India Undertaking) Branch: 298/7 Esskay Tower, Old Railway Road, Near Shiv Murti, Gurgaon, Haryana-122001

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED sd/- Sanjay Agarwal (DIN: 01302479) Chairman Cum Managing Director

Table with columns: Sr No, Loan Account No., Type of Loan, Name of borrowers, Outstanding as per 13(2) Notice, Notice Date, Details of Secured asset

Canara Bank (A Govt. of India Undertaking) Branch: 298/7 Esskay Tower, Old Railway Road, Near Shiv Murti, Gurgaon, Haryana-122001

Hero FinCorp Limited Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Canara Bank (A Government of India Undertaking) Regional Office-1, 71, MG Road, Agra

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under the Securitisation Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice along with interest & expenses within 60 days from the date of receipt of the said notices.

Table with columns: Name of Borrower, Description of Movable/Immovable Property, Outstanding Amount, Date of Demand Notice

B J DUPLEX BOARDS LIMITED CIN: L21099DL1995PLC066281 Regd. Office: H. NO. 83, TIF CHAWRI BAZAR, DELHI-110006

GOODLUCK INDIA LTD. Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001

punjab national bank (पंजाब नेशनल बैंक) Circle Sastra Centre (830700), 97, Sonipat Road, Near Mansarovar Hospital, Rohtak, 124 001, Tel No. 01262-244836, Email : cs8307@pnb.co.in

HERO FINCORP LIMITED Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial results for the Half year/Quarter ended on 30th September, 2021 (Rs. in Lakhs)

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas undersigned being the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

HERO FINCORP LIMITED POSSESSION NOTICE (Appendix IV Rule 8(1)) Whereas the Authorized officer of Hero FinCorp Limited (HFCL), a Non-Banking Financial Company, under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 23.06.2021 calling upon:

Table with columns: Name of the Branch, Name of the Account, Description of Property Mortgaged, Date of Demand Notice, Date of Possession Notice Affixed, Amount O/s as per Demand Notice

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY/SECURED ASSETS IS AS UNDER: Plot/Property Bearing No.35-P, area measuring 5139 Sq. Mts. (6146.244 Sq. Yds.)

For Goodluck India Limited sd/- M C Garg Chairman DIN:00292437

Authorized Officer, Punjab National Bank

खबर संक्षेप

तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प, तीन घायल

नई दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प में तीन कैदी घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना शनिवार की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस दोन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू) पहुंची। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें पिंकू (24), सुनील शेरवत (32) और सन्नी (32) की 'मैडिको लीगल केस' (एमएलसी) रिपोर्ट मिली है। उनके शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। 'मैडिको लीगल केस' उस रिपोर्ट को कहते हैं, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ किसी कानूनी मामले में, शरीर पर लगी चोट की जानकारी देता है। पिंकू और सुनील को सफरदरज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनील का बयान भी दर्ज कर लिया गया है।

दिल्ली दंगा : अदालत ने पुलिस की खिंचाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े मामलों में समयबद्ध तरीके से आरोपियों को रंगीन तस्वीरें तथा सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पुलिस की खिंचाई की तथा कहा कि क्यों नहीं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने पुलिस को यह चेतावनी तब जारी की जब दंगों के एक मामले में आरोपी विनोद ने कहा कि उसे आरोप पत्र की पूरी प्रति मिल गई है, लेकिन उन तस्वीरों की रंगीन प्रतियां नहीं मिली हैं जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) और पुलिस उपयुक्त (पूर्वोत्तर) दंगों से जुड़े सभी मामलों में सभी आरोपियों को समयबद्ध तरीके से उचित पावती के साथ रंगीन तस्वीरों की प्रतियां और सीसीटीवी फुटेज की अपूर्ति सुनिश्चित करने के पहले के निर्देश का पालन करने में विफल रहे हैं।

गोलीबारी करने के आरोप में चार बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय के बाहर जबरन वसूली के लिए चोरी तौर पर गोलीबारी करने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि चोरी गिरोह के इन सभी सदस्यों ने पैसे कमाने और एक आरोपी द्वारा लिए गए लगभग तीन लाख रुपये के कर्ज को उतारने के लिए यह तरीका अपनाया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों, साहिल(21), ललित मेहरा (22), भरत (24) और मनोज (20) को घटना के लगभग एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों में से एक ने एक व्यक्ति से करीब तीन लाख रुपये का कर्ज लिया था, जो उस पर राशि वापस करने का दबाव बना रहा था।

हादसे में एक किशोर समेत तीन लोग घायल, कार चालक गिरफ्तार, नशे में था आरोपी

तेज रफ्तार कार ने टेंपो को मारी टक्कर, एक की मौत

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

कालका जी थाने इलाके में स्थित नेहरू प्लेस में एक तेज रफ्तार कार ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो चालक की मौत हो गई, जबकि टेंपो में सवार एक बच्चा समेत तीन लोग घायल हो गए। मृतक का नाम राधे श्याम है। घायलों के नाम पंकज (21), पंकज (15) और नीरज अग्रवाल (36) है। पुलिस ने राधे श्याम के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है। घायलों को एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आदित्य खुराना (25) है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि आदित्य घटना के वक्त शराब के नशे में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ का मामला की

त्यौहारों पर बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन जरूरी : होईकोर्ट

एजेसी नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां के अधिकारियों से कहा कि त्यौहारों के इस मौसम में बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उच्च

खास बातें

- मानदंडों के उल्लंघन के लिए लोगों से जुर्माना वसूलते नहीं देखा चाहता कोर्ट
- 30 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए

न्यायालय ने कहा कि वह कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए



लोगों से जुर्माना वसूलते नहीं देखा चाहता, लेकिन वह चाहता है कि

अधिकारियों द्वारा भीड़ का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा रहा हो।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादियों (केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस) से उम्मीद करते हैं कि त्यौहारों के इस मौसम में बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाएगा। पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपनी संबंधित स्थिति रिपोर्ट में उल्लेखित सभी कदम उठाए जाने चाहिए और

सख्त अनुपालन की है आवश्यकता

पीठ ने दोनों सरकारों के वकील से कहा कि आपके दिशानिर्देशों, एसओपी और प्रोटोकॉल का बहुत ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। देखिए यह त्यौहारों का मौसम है। सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह मामले को लंबित रख रही है क्योंकि वह देखना चाहती है कि अधिकारी स्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकट शर्मा और स्थायी वकील अजित सोनी ने केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने समय पर उचित दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन बाजारों को बंद भी कर दिया है, जहां यह पाया गया कि प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर, अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिनका मसौदा तैयार किया गया है।

30 नवंबर को सुनवाई की अगली

स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को पकड़ा

दुकानदार ने झगड़े में युवक को कैची घोंप उतारा मौत के घाट

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

सीमापुरी थाना इलाके में गुटका लेने को लेकर एक युवक का दुकानदार और उसके भतीजे से झगड़ा हो गया। इसके बाद युवक वहां से चला गया। कुछ देर बाद युवक अपने दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा। यहां उसने दुकानदार व उसके भतीजे पर हमला कर दिया। इस दौरान दुकानदार ने दो युवकों के पैट और सीने में कैची घोंप दी। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक का नाम शुभव (18) है। वहीं, घायल युवक का नाम सुहेल (18) है। उसका जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में दुकानदार नरसिंह (45), इसके भतीजे हेमंत (26)



- इनके पास से वारदात में इस्तेमाल कैची बरामद
- अस्पताल से मिली पुलिस को मामले की सूचना

और हेमंत के दोस्त आमिर (22) है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कैची बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (शाहदरा) आर. साधिया सुंदरम के अनुसार, रविवार देर रात करीब 11:21 बजे जीटीबी अस्पताल से सीमापुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि सीमापुरी इलाके से दो घायल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि

इलाके से पकड़े गए तीनों आरोपी

समीर व उसके दोस्तों ने आते ही हेमंत को पीटना शुरू कर दिया। आगिर व नर सिंह ने समीर व उसके दोस्तों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी हेमंत को पीटते ही रहे। गुस्से में नर सिंह ने दुकान में रखी कैची उठाकर हेमंत को पीट रहे दो युवकों को मार दी, जिससे शुभव की मौत हो गई, जबकि सुहेल घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को इलाके से ही दबोच लिया।

दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान शुभव के रूप में हुई। वह चांद मस्जिद वाली गली, शाहीद नगर, गाजियाबाद का रहने वाला था। इसके अलावा ओल्ड सीमापुरी निवासी सुहेल बुरी तरह

कौन हैं पकड़ा गया आरोपी नरसिंह

सूत्रों का कहना है कि आरोपी नरसिंह पहले पुलिस के लिए मुखबिर का काम करता था। वर्ष 2013 में आरोपी के खिलाफ गोली चलाने का मामला दर्ज हुआ था।

जख्मी है। पुलिस ने मृतक व घायल के दोस्त अनीस व सुभान ने बताया कि समीर नामक इनका दोस्त पुरानी सीमापुरी की एक दुकान पर गुटखा लेने गया था। वहां दुकानदार नर सिंह और उसका भतीजा हेमंत मौजूद थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई।

इसके बाद समीर ने कॉल कर अपने दोस्तों को बुला लिया। वहां समीर के दोस्त अनीस, सुभान, सुहेल, शुभव और अरशद पहुंचे। वहां नरसिंह हेमंत के दोस्त आमिर के साथ शराब पी रहा था।

झगड़े को लेकर पार्क में टहल रहे दंपति पर चाकू से हमला



नई दिल्ली। मुखर्जी नगर थाना इलाके में पार्क में टहल रहे दंपती पर तीन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल, पीड़ित के भाई राहुल का दो हफ्ते पूर्व इलाके में रहने वाले दीपक से झगड़ा हुआ था। ऐसे पीड़ित ने उसे समझाया था। रात को वह पार्क में टहल रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों में कल्लू और उसकी पत्नी कोमल है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच रही है। जानकारी के मुताबिक, दंपति कल्लू व कोमल, जीटीबी नगर की झुग्गियों में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पूर्व उनके देवर राहुल का इलाके में ही

- 15 दिन पहले पीड़ित के भाई का हुआ था आरोपी से विवाद
- वारदात के बाद आरोपी मौके से हुए फरार

रहने वाले दीपक का झगड़ा हुआ था। ऐसे में उसके पति ने उसे समझाया था। रात करीब आठ बजे कल्लू पार्क में टहल रहा था तभी दीपक, रोहित व वीनू वहां आ गए। उनके बीच कहासुनी होने लगी तभी दीपक ने कल्लू के पैट, सिर पर चाकू से वार कर दिया। उसे बचाने के लिए कोमल गई तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

यूनिटेक केस: क्राइम ब्रांच ने 37 जगहों पर की छापेमारी

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने यूनिटेक केस में सोमवार को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 37 स्थानों पर तलाशी व जब्ती अभियान चलाया। जिन प्रमुख स्थानों पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने छापेमारी की है, उनमें यूनिटेक लिमिटेड के मालिकों, रमेश चंद्रा, अजय चंद्रा, संजय चंद्रा और उनके कर्मचारियों के आवास शामिल हैं। इसके साथ ही तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक जेल नंबर 7, पूर्व उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, वार्डर और सविदा कर्मचारियों के आवासों पर भी तलाशी व जब्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज आदि के रूप में काफी साक्ष्य जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि सिविल अपील की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अगस्त को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को सेंट्रल जेल तिहाड़, दिल्ली से

- चंद्रा बंधुओं समेत तिहाड़ के पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों के घर व दफ्तरों पर हुई छापेमारी
- तिहाड़ के अधिकारियों से मिलीभगत के बाद अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को अगस्त में तिहाड़ से मुंबई की आर्थर रोड जेल में किया जा चुका है शिफ्ट

तलोजा सेंट्रल जेल, मुंबई और आर्थर रोड जेल, मुंबई में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। किया था। तिहाड़ जेल के 32 अधिकारियों व कर्मचारियों पर चंद्रा बंधुओं पर भी तलाशी व जब्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज आदि के रूप में काफी साक्ष्य जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि सिविल अपील की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अगस्त को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को सेंट्रल जेल तिहाड़, दिल्ली से

नौवीं कक्षा की छात्रा को घर में बंधक बनाकर लूटपाट

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

कल्याणपुरी थाना इलाके में नौवीं कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर लूटपाट का मामला सामने आया है। वारदात के बाद एक बदमाश ने छात्रा का गला दबाया तो

- एक बदमाश ने दबाया था पीड़िता का मुंह

उसने अपने पैर की नोक से उस पर हमला कर दिया। छात्रा के चिल्लाने पर

बदमाश सारा माल लेकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद छात्रा ने पुलिस व पिता को मामले की सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता दीक्षा (14) की

शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बदमाश घर में रखे लाखों रुपये के सोने के जेवराल ले जाने में कामयाब हो गए। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

हत्या के लिए चुराई थी लाइसेंसी रिवाल्वर, गिरफ्तार



उसके किसी जानकर के पिता के घर एक लाइसेंस रिवाल्वर है। इसके बाद उसने मकान का ताला तोड़कर वहां से एक रिवाल्वर और 7 जिंदा कारतूस चोरी कर लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली। भलस्वा डेरी थाना इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने जर्मनी से बनी आधुनिक रिवाल्वर चोरी की थी। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहित उर्फ गोलू है। आरोपी भलस्वा डेरी इलाके का रहने वाला है। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी एक युवती से प्यार करता है। वहीं, दूसरा लड़का प्रदीप भी युवती को पसंद करता था। दूसरे युवक ने मोहित को सुनीता से दूर रहने की धमकी दी थी। इसी का बदला लेने के लिए मोहित ने एक घर से रिवाल्वर चोरी कर ली। आगे पुलिस को पता चला कि उसके दोस्त ने उसे बताया कि यह घर पार्क में है।

- प्रेमिका से दूरी नहीं बना रहा था युवक

गुमशुदा/अपहृत की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला जिसका नाम पूजा अपने 3 साल के बेटे शिवा के साथ, पत्नी हरीश चंद्र पता- मकान नं जी- 585, राजीव रतन आवास, बपरोला, दिल्ली। उक्त महिला दिनांक 14.09.2021 से पुलिस थाना रणहोला, दिल्ली के क्षेत्र से गुमशुदा/अपहृत है। इस संबंध में डी डी नं 76ए दिनांक 19.09.2021 को पुलिस थाना रणहोला, दिल्ली में दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस गुमशुदा/अपहृत महिला और उनके बेटे की तलाश करने की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई सुरांग नहीं मिल पाया। इस गुमशुदा/अपहृत महिला का विवरण इस प्रकार है: नाम: पूजा, लिंग: स्त्री, उम्र: 26 वर्ष, कद: 5', रंग: सावला, चेहरा: अंडकार, पहनावा: नारंगी रंग का सूट-सलवार, गुलाबी रंग का दुपट्टा और पैरों में चप्पल पहने हुए है। इस गुमशुदा/अपहृत महिला और उनके बेटे के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया थाना प्रमारी रणहोला, दिल्ली को सूचित करें। ई-मेल : cbc@cbi.gov.in फोन : 011-24368638, 24368641 फैक्स : 011-24368639



थाना प्रमारी पुलिस थाना, रणहोला, दिल्ली फोन नं. 011- 28363001, 28363002

B J DUPLEX BOARDS LIMITED				
CIN: L21090DL1995PLC066281				
Regd. Office: H. NO. 83, T/F CHAWRI BAZAR, DELHI-110006				
Tel.: (91)-11-4141939, Email id: sbj@anandpulp.com				
Website: https://www.bjduplexboard.com				
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Second Quarter & Half Year Ended 30 th September, 2021 (In Lakhs)				
Particulars	Quarter ended		Half Year Ended	
	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)
Total Income from Operations	0.00	0.05	0.00	0.00
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.41)	(0.79)	(0.48)	(0.48)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.41)	(0.79)	(0.48)	(0.48)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.41)	(0.79)	(0.48)	(0.48)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	37.66	37.66	37.66	37.66
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
1.Basic:	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.01)
2.Diluted:	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.01)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 30th September, 2021 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.bjduplexboard.com).
- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 25th October, 2021.

For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Place: Delhi Date: 25th October, 2021

Satya Bhushan Jain Whole Time Director DIN: 00196272